उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

संख्या- 25/2015/545 /अड़तीस-9-15-04(बजट)/14

लखनऊ : दिनांक- 10 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप/संशोधन

विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 की धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-24/2015/519/अड़तीस-9-15-02(बजट)/13, दिनांक-03 जून, 2015 के प्रस्तर-2 में टंकण त्रुटिवश निम्नवत् अंकन हुआ है:-

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक- "4515-अन्य ग्राम विकस कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-विधायक निधि-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

2- उक्त को संशोधित करते हुये उक्त शासनादेश दिनांक-03 जून, 2015 का प्रस्तर-2 निम्नवत् पढ़ा जाय:-

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-"4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-विधायक निधि-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

3- उपरोक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-24/2015/519/अड़तीस-9-14-02(बजट)/2013, दिनांक-03 जून, 2015 के स्थान पर तथा उसके संलग्नक में अंकित उपरोक्त संख्या के स्थान पर शासनादेश संख्या-24/2015/519/ अड़तीस-9-15-04(बजट)/2014, दिनांक-03 जून, 2015 पढ़ा जाए।

4- उक्त शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी तथा शासनादेश दिनांक-03 जून, 2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

ओम प्रकाश तिवारी
अनुसचिव।

संख्या- 25/2015/545 (1) /अड़तीस-9-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0।
7- निजी सचिव, मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
10- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
11- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
12- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
13- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
14- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
15- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।